

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस0

उनवान

रोशनी देवी ek बनाम सुमन etc

दावा बाबत :- घोषणा, युक्त (151 CPC)

मुकदमा नम्बर :- 4/2021

निर्णय दिनांक :- 28-10-2021

वादी की ओर से वकील श्री सतपाल दे (काय) की व प्रतिवादी सं०..... की ओर से वकील सन्दीप उग्रसेन की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 28-10-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि

चक 5 JSL के खाता सं० 17/18 के मु० न० 122 के किला न० 23, मु० न० 128 के किला न० 3 ता० 13-14, मु० न० 129 के किला न० 1 ता० 4, 7 ता० 14-15, कुल किला 19 की प.262 एम्प्ले कारानी भग राखन की खातेदारी में सुमन पुत्री उग्रसेन के नाम उर्ज 3.654 एम्प्ले में रोशनी देवी, मानता, सुमन सतपाल, पवना देवी पिठ उग्रसेन, उग्रसेन पुत्र आशीरथ विशनोई सा० चौधरीवाली व.दिव. के अनुसार खातेदारी काशतकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाकब्जी पुनर्दान की जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)

R.A.S.  
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)  
भादरा, जिला हनुमानगढ़